

# सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI “क”

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन )

अधिसूचना सं०- 14

दिनांक- 26.09.19

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - रामजड़ी , थाना न० - 103, थाना / अंचल- कोलेबिरा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा योजना - रामजड़ी मध्यम सिंचाई योजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - रामजड़ी, थाना न० - 103, थाना/अंचल- कोलेबिरा, जिला- सिमडेगा में उपर्युक्त कथित योजना के लिए कमोवेश 5.85 एकड़ यानि 2.3674 हेक्टेयर मानक माप का रैयती भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड सं०	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ०	द०	पु०	प.०	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	40	2269	रैयती	दोन तीन	0.20	इसहाक डांग वो सिमोन डांग पे०	2280 का अंश	2270 का अंश	2280 का अंश	2268 का अंश	-	-	-	-

		2270	रैयती	दोन तीन	0.15	लोथा पाहन वगै० ।	2269 का अंश	2271 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2271	रैयती	दोन दो	0.07		2270 का अंश	2272 का अंश	2280 का अंश	2272 का अंश	—	—	—	—
		2272	रैयती	टांड तीन	0.25		2271 का अंश	2274 का अंश	2280 का अंश	2275 का अंश	—	—	—	—
		2273	रैयती	दोन एक	0.10		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2274 का अंश	—	—	—	—
		2274	रैयती	मोटा आर	0.05		2272 का अंश	2280 का अंश	2280, 2273 का अंश	2275 का अंश	—	—	—	—
		2275	रैयती	दोन एक	1.11		2280 का अंश	2280 का अंश	2274 का अंश	2276 का अंश	—	—	—	—
		2276	रैयती	दोन तीन	0.60		2275 का अंश	2280, 2278 का अंश	2275 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2277	रैयती	दोन तीन	0.08		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2278 का अंश	—	—	—	—
		2278	रैयती	दोन तीन	0.19		2280 का अंश	2280 का अंश	2276, 2280, 2277 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2279	रैयती	दोन तीन	0.20		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2321	रैयती	दोन तीन	0.07		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—

2	156	2219	रैयती	दोन एक	0.30	मंगरा महतो (डांग) वो सिमोन महतो पे0 लोहरा महतो वो सुवास महतो पे0 शनिचर महतो वो मौका महतो वो जोन महतो	2219 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
3	26	2232	रैयती	टांड दो	0.12	बहिरा महतो वो एतो महतो पे0 फागु महतो वो	2233, 2280 का अंश	2232, 2280 का अंश	2232 का अंश	2232 का अंश	—	—	—	—
		2233	रैयती	टांड दो	0.16	हेला महतो वल्द लंगडू महतो वगै0	2249 का अंश	2232 का अंश	2233 का अंश	2233 का अंश	—	—	—	—
4	91	2317	रैयती	दोन एक	0.06	मसीह दास डांग वगै0 पे0 फिलिप डांग वगै0	2385	2318	2318	2317 अंश	—	—	—	—
5	167	2318	रैयती	दोन एक	0.10	सोमा मुण्डा वल्द भौवा मुण्डा वो सोमरा मुण्डा पे0 लेपा मुण्डा मो0 फुलो पति मोफा मुण्डा वो मुण्डा पिता बिरसा मुण्डा शाकीन देह पहार टोली	2385	2319	2385	2317 अंश 2318 अंश	—	—	—	—

6	50	5322	रैयती		0.05	पीटर महतो वो फ्रांसीस महतो पे0 गोपाल महतो	2385	2380	2280	2385	—	—	—	—
		2323	रैयती	दोन एक	0.63		2325	2280	2325	2385	—	—	—	—
7	64	2324	रैयती	दोन दो	0.92	सोमा महतो वो सुनील महतो वो निराज महतो पिता शनिया महतो	2325 का अंश	2280 का अंश	2325, 2280 का अंश	2325	—	—	—	—
		2326	रैयती	दोन तीन	0.12		2328 का अंश	2325का अंश	2329, 2325 का अंश	2328, 2327 का अंश	—	—	—	—
		2327	रैयती	टांड तीन	0.08		2327 का अंश	2325 का अंश	2326 का अंश	2327 का अंश	—	—	—	—
		2329	रैयती	टांड तीन	0.10		2329 का अंश	2326 का अंश	2330, 2325 का अंश	2326 का अंश	—	—	—	—
		2330	रैयती	टांड तीन	0.06		2370 का अंश	2325 का अंश	2331 का अंश	2329 का अंश	—	—	—	—
		2331	रैयती	टांड दो	0.08		2330 का अंश	2280 का अंश	2331 का अंश	2325 का अंश	—	—	—	—
		कुल			<b>5.85</b>									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( झारखण्ड संसोधन ) अधिनियम-2017 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो,  
भू-अर्जन सिमडेगा।

भू-अर्जन पदाधिकारी,  
सिमडेगा।

अपर समाहर्ता,  
सिमडेगा।

उपायुक्त,  
सिमडेगा।

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI “क”

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन )

अधिसूचना सं०- 14

दिनांक-26.09.19

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - रामजड़ी , थाना न० - 103, थाना / अंचल- कोलेबिरा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा योजना - रामजड़ी मध्यम सिंचाई योजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - रामजड़ी, थाना न० - 103, थाना/अंचल- कोलेबिरा, जिला- सिमडेगा में उपर्युक्त कथित योजना के लिए कमोवेश 5.85 एकड़ यानि 2.3674 हेक्टेयर मानक माप का रैयती भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड सं०	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ०	द०	पु०	प.०	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	40	2269	रैयती	दोन तीन	0.20	इसहाक डांग वो सिमोन डांग पे० लोथा पाहन वगै०।	2280 का अंश	2270 का अंश	2280 का अंश	2268 का अंश	-	-	-	-
		2270	रैयती	दोन तीन	0.15		2269 का अंश	2271 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	-	-	-	-
		2271	रैयती	दोन दो	0.07		2270 का अंश	2272 का अंश	2280 का अंश	2272 का अंश	-	-	-	-

		2272	रैयती	टांड तीन	0.25		2271 का अंश	2274 का अंश	2280 का अंश	2275 का अंश	—	—	—	—
		2273	रैयती	दोन एक	0.10		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2274 का अंश	—	—	—	—
		2274	रैयती	मोटा आर	0.05		2272 का अंश	2280 का अंश	2280, 2273 का अंश	2275 का अंश	—	—	—	—
		2275	रैयती	दोन एक	1.11		2280 का अंश	2280 का अंश	2274 का अंश	2276 का अंश	—	—	—	—
		2276	रैयती	दोन तीन	0.60		2275 का अंश	2280, 2278 का अंश	2275 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2277	रैयती	दोन तीन	0.08		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2278 का अंश	—	—	—	—
		2278	रैयती	दोन तीन	0.19		2280 का अंश	2280 का अंश	2276, 2280, 2277 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2279	रैयती	दोन तीन	0.20		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
		2321	रैयती	दोन तीन	0.07		2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—

2	156	2219	रैयती	दोन एक	0.30	मंगरा महतो (डांग) वो सिमोन महतो पे0 लोहरा महतो वो सुवास महतो पे0 शनिचर महतो वो मौका महतो वो जोन महतो	2219 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	2280 का अंश	—	—	—	—
3	26	2232	रैयती	टांड दो	0.12	बहिरा महतो वो एतो महतो पे0 फागु महतो वो	2233, 2280 का अंश	2232, 2280 का अंश	2232 का अंश	2232 का अंश	—	—	—	—
		2233	रैयती	टांड दो	0.16	हेला महतो वल्द लंगडू महतो वगै0	2249 का अंश	2232 का अंश	2233 का अंश	2233 का अंश	—	—	—	—
4	91	2317	रैयती	दोन एक	0.06	मसीह दास डांग वगै0 पे0 फिलिप डांग वगै0	2385	2318	2318	2317 अंश	—	—	—	—
5	167	2318	रैयती	दोन एक	0.10	सोमा मुण्डा वल्द भौवा मुण्डा वो सोमरा मुण्डा पे0 लेपा मुण्डा मो0 फुलो पति मोफा मुण्डा वो मुण्डा पिता बिरसा मुण्डा शाकीन देह पहार टोली	2385	2319	2385	2317 अंश 2318 अंश	—	—	—	—



6	50	5322	रैयती		0.05	पीटर महतो वो फ्रांसीस महतो पे0 गोपाल महतो	2385	2380	2280	2385	—	—	—	—
		2323	रैयती	दोन एक	0.63		2325	2280	2325	2385	—	—	—	—
7	64	2324	रैयती	दोन दो	0.92	सोमा महतो वो सुनील महतो वो निराज महतो पिता शनिया महतो	2325 का अंश	2280 का अंश	2325, 2280 का अंश	2325	—	—	—	—
		2326	रैयती	दोन तीन	0.12		2328 का अंश	2325का अंश	2329, 2325 का अंश	2328, 2327 का अंश	—	—	—	—
		2327	रैयती	टांड तीन	0.08		2327 का अंश	2325 का अंश	2326 का अंश	2327 का अंश	—	—	—	—
		2329	रैयती	टांड तीन	0.10		2329 का अंश	2326 का अंश	2330, 2325 का अंश	2326 का अंश	—	—	—	—
		2330	रैयती	टांड तीन	0.06		2370 का अंश	2325 का अंश	2331 का अंश	2329 का अंश	—	—	—	—
		2331	रैयती	टांड दो	0.08		2330 का अंश	2280 का अंश	2331 का अंश	2325 का अंश	—	—	—	—
		कुल			<b>5.85</b>									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( झारखण्ड संसोधन ) अधिनियम-2017 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि

खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त  
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-...../भू0अ0, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता लघु सिंचाई प्रमण्डल सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पंचायत सचिव/मुखिया ग्राम पंचायत - रामजड़ी ,प्रखण्ड - कोलेबिरा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि पंचायत में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी कोलेबिरा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला गजट के अंक में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त  
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-...../भू0अ0, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रचलित दो स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त  
सिमडेगा।